

एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

प्रलिस के लिये:

एकल-उपयोग प्लास्टिक, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूलस 2016, सीपीसीबी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986।

मेन्स के लिये:

प्लास्टिक अपशुद्धि प्रदूषण और प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण और गरीब, संरक्षण।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की एक सूची को तैयार किया है जिन्हें 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

- 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टीरीन और वस्तुतः पॉलीस्टीरीन सहित अधिसूचित एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित होगा।

Cleaning up

Plastic items completely banned from July 1, 2022

Ear buds with plastic sticks, plastic sticks for balloons, plastic flags, polystyrene (thermocool) for decoration, plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, trays, wrapping or packing films, cigarette packets

Plastic bags to be thicker

From September 30 this year, thickness of plastic carry bags has been increased from 50 microns to 75. From December 31, 2022, the thickness will increase to 120 microns

एकल उपयोग प्लास्टिक:

- परिचय:**
 - यह उन प्लास्टिक वस्तुओं को संदर्भित करता है जिन्हें एक बार उपयोग किया जाता है और फेंक दिया जाता है।
- निर्माता और प्रयुक्त प्लास्टिक के उच्चतम श्रेणियाँ:**
 - एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पाद जैसे- प्लास्टिक की थैलियाँ, स्ट्रॉ, कॉफी बैग, सोडा और पानी की बोतलें तथा अधिकांशतः खाद्य पैकेजिंग के लिये प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक।
- दुनिया भर में उत्पादित प्लास्टिक का एक तिहाई हिस्सा है:**
 - एक ऑस्ट्रेलियाई परोपकारी संगठन, **मडिरू फाउंडेशन** की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का वैश्विक

उत्पादन में एक तह्राई हसिसा होता है, जसमें 98% जीवाश्म ईधन से नरिमति होता है।

- **प्लास्टिक का अधिकांशतः छोड़ दिया जाता है:**
 - एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर 130 मलियन मीटरिक टन प्लास्टिक अधिकांश कचरे के लिये ज़मिमेदार है, जसमें से सभी को जला दिया जाता है, लैंडफिल कर दिया जाता है या सीधे पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है।
- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान:**
 - उत्पादन के वर्तमान प्रकषेपवकर पर, यह अनुमान लगाया गया है कविर्ष 2050 तक एकल-उपयोग प्लास्टिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 5-10% के लिये ज़मिमेदार हो सकता है।
- **भारत के लिये डेटा:**
 - रपिर्ट में पाया गया कऱ भारत एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक अपशषिट उत्पादन के शीर्ष 100 देशों में शामिल है - रैंक 94 (शीर्ष तीन सगिपुर, ऑस्ट्रेलिया और ओमान) है।
 - सालाना 11.8 मलियन मीटरिक टन के घरेलू उत्पादन और 2.9 MMT आयात के साथ, भारत का एकल उपयोग प्लास्टिक कचरे का शुद्ध उत्पादन 5.6 MMT और प्रतविकृता उत्पादन 4 कलो है।

चुनाव का आधार:

- प्रतबिंध के लिये एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के पहले सेट का चुनाव संग्रह की कठनाई और उनके रीसाइकलिंग पर आधारित था।
- जब प्लास्टिक लंबे समय तक पर्यावरण में उपस्थित रहता है और अपघटित नहीं है तो यह **माइक्रोप्लास्टिक** में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद पहले यह हमारे खाद्य स्रोतों और फरि मानव शरीर में प्रवेश करता है, तथा यह बेहद हानिकारक है।
- एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक का सबसे बड़ा हसिसा पैकेजिंग का है इस श्रेणी से संबंधित 95% टूथपेस्ट से लेकर शेवगि क्रीम तथा फ्रोजन फूड तक में उपयोग होता है।
- चुनी गई वस्तुएँ कम मूल्य की और कम टर्नओवर वाली हैं और उनके बड़े आर्थिक प्रभाव की संभावना नहीं है।

प्रतबिंध लागू होने की प्रक्रिया:

- **नगिरानी द्वारा:**
 - केंद्र से सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नयितरण बोर्ड (SPCBs) द्वारा प्रतबिंध की नगिरानी की जाएगी जो नयिमति रूप से केंद्र को रपिर्ट करेंगे।
- **जारी दशानरिदेश:**
 - राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर नरिदेश जारी किये गए हैं- उदाहरण के लिये सभी पेट्रोकेमिकल उद्योगों को प्रतबिंधित वस्तुओं में लगे उद्योगों को कचरे माल की आपूर्ति नहीं करने के लिये कहा गया है।
 - **SPCBs** और प्रदूषण नयितरण समितियों को एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं में लगे उद्योगों को वायु/जल अधनियम के तहत जारी की गई सहमतियों को संशोधित करने या रद्द करने के नरिदेश जारी किये गए हैं।
 - स्थानीय अधिकारियों को इस शर्त के साथ नए वाणजियिक लाइसेंस जारी करने का नरिदेश दिया गया है कऱ उनके परसिर में एसयूपी आइटम नहीं बेचे जाएंगे तथा मौजूदा वाणजियिक लाइसेंस रद्द कर दिये जाएंगे यदावे इन वस्तुओं को बेचते पाए जाते हैं।
- **कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बढ़ावा देना:**
 - CPCB ने कमपोस्टेबल प्लास्टिक के 200 नरिमाताओं को एकमुश्त प्रमाण पत्र जारी किया और BIS ने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लिये मानकों को पारित किया।
- **दंड:**
 - प्रतबिंध का उल्लंघन करने वालों को **पर्यावरण संरक्षण अधनियम 1986** के तहत दंडित किया जा सकता है - जो 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपये तक जूरमाना या दोनों की अनुमति देता है।
 - उल्लंघनकर्ताओं को APCB द्वारा पर्यावरणीय कषर्त मुआवजे का भुगतान करने के लिये भी कहा जा सकता है।
 - प्लास्टिक कचरे पर नगरपालिका कानून हैं, उनकी अपनी दंड संहिताएँ हैं।

एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक से नपिटने के अन्य देशों के प्रयास:

- **संकल्प पर हस्ताकषर:**
 - वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में भारत सहित 124 देशों ने समझौते को तैयार करने के लिये एक प्रस्ताव पर हस्ताकषर किये, जो भवषिय में हस्ताकषरकर्ताओं के लिये उत्पादन से लेकर नपिटान तक प्लास्टिक के पूरण जीवन को संबोधित करने हेतु प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना कानूनी रूप से बाध्यकारी बना देगा।
 - जुलाई 2019 तक, 68 देशों में अलग-अलग डगिरी के प्रवर्तन के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतबिंध है।
- **प्लास्टिक पर प्रतबिंध लगाने वाले देश:**
 - **बांग्लादेश:**
 - बांग्लादेश वर्ष 2002 में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतबिंध लगाने वाला पहला देश बना।
 - **न्यूज़ीलैंड:**
 - जुलाई 2019 में न्यूज़ीलैंड प्लास्टिक बैग पर प्रतबिंध लगाने वाला नवीनतम देश बन गया।
 - **चीन:**
 - चीन ने वर्ष 2020 में चरणबद्ध कार्यान्वयन के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतबिंध जारी किया।
 - **अमेरिका:**

- अमेरिका में आठ राज्यों ने एकल प्रयोग प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी शुरुआत 2014 में कैलिफोर्निया से हुई थी। सेंट्रल वर्ष 2018 में प्लास्टिक स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रमुख अमेरिकी शहर बन गया।

• यूरोपीय संघ:

- जुलाई, 2021 में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर नरिदेश यूरोपीय संघ में प्रभावी हुआ।
- यह नरिदेश कुछ एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाता है जिसके लिये विकल्प उपलब्ध हैं; एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक प्लेट, कटलरी, स्ट्रॉ, बैलून स्टिक और कॉटन बड्स को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बाजारों में नहीं रखा जा सकता है।
- वसितारति पॉलीस्टीरीन से बने कप, खाद्य और पेय कंटेनर और ऑक्सो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक से बने सभी उत्पादों पर भी यही उपाय लागू होता है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: पर्यावरण में छोड़े जाने वाले 'माइक्रोबीड्स' को लेकर इतनी चिंता क्यों है? (2019)

- उनहें समुद्री पारस्थितिक तंत्र के लिये हानिकारक माना जाता है।
- उनहें बच्चों में त्वचा कैंसर का कारण माना जाता है।
- वे सचिति कृषेत्रों में फसल पौधों द्वारा अवशोषित करने हेतु काफी छोटे हैं।
- वे अक्सर खाद्य अपमश्रिण के रूप में उपयोग किये जाते हैं।

उत्तर: (a)

- माइक्रोबीड्स छोटे, ठोस, नरिमति प्लास्टिक के कण होते हैं जो आकार में 5 ममी. से कम होते हैं, ये वघिटति या जल में घुलते नहीं हैं।
- मुख्य रूप से पॉलीइथाइलीन से बने माइक्रोबीड्स को पेट्रोकेमिकल प्लास्टिक जैसे पॉलीस्टीरीन और पॉलीप्रोपाइलीन से भी तैयार किये जा सकता है। उनहें उत्पादों की एक शृंखला में जोड़ा जा सकता है, जिसमें सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल और सफाई उत्पाद शामिल हैं।
- अपने छोटे आकार के कारण माइक्रोबीड्स सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम से बनिा छने ही गुजरते हैं और जल नकियाँ तक पहुँच जाते हैं। जल नकियाँ में अनुपचारति माइक्रोबीड्स समुद्री जानवरों द्वारा ग्रहण किये जाते हैं, इस प्रकार वषिकतता पैदा करते हैं और समुद्री पारस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाते हैं।
- नीदरलैंड कॉस्मेटिक्स माइक्रोबीड्स पर 2014 में प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया।

अतः विकल्प (a) सही है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/banning-single-use-plastic>